



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-26092025-266448
CG-CG-E-26092025-266448

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4263]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/आश्विन 4, 1947

No. 4263]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

बिलासपुर, 23 सितम्बर, 2025

का.आ. 4383(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छत्तीसगढ़ राज्य में एतद द्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारी को तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के संबंध में इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

सारिणी-1

क्रमांक	सक्षम प्राधिकारी	विशेष रेल परियोजना
1	2	3
1.	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा छत्तीसगढ़	दगोरी से निपनिया चौथी लाईन (6.86 कि.मी.)

[फा. सं. डी.सी.ई.॥ / कॉन / आर / चौथी लाईन / दगोरी — निपनिया / 7ए]
आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 23rd September, 2025

S.O. 4383(E).— In exercise of the powers conferred by clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in Column (2) of the table below as the Competent Authority to perform the function of such authority under the said Act in respect of the Special Railway Project mentioned in Column (3) of the table below in the state of Chhattisgarh with effect from the date publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

S.N.	Competent Authority	Special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1.	Sub Divisional officer Revenue, Belha Chhattisgarh	Dagori to Nipania 4 th line (6.86 Km)

[F. No. DCE-II/Con/R/4th line/Dagori - Nipania/7A]

ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer (Construction)